न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 29/2023 अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
बागाराम चौधरी पुत्र देदाराम जाति जाट, निवासी कोटड़ियों की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. धन्नाराम पुत्र खूमाराम 2. भंवराराम पुत्र निम्बाराम 3. भीखाराम पुत्र निम्बाराम 4. मेहराराम पुत्र निम्बाराम 5. मीरोंदेवी पत्नी निम्बाराम जाति जाट, निवासी कोटड़ियों की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर 6. तहसीलदार शिव

उपस्थित :– अधिवक्ता वादी – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 – श्री बालाराम गोदारा।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 20.08.2025

उभयपक्ष अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा वादी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के दौरान उन्हे सूचित नहीं करने का कथन करते हुए पुनः उभयपक्ष की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव हेतु निवेदन किया गया। चूंकि विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकारान् को मोबाईल फोन से इत्तला दी जाना बताया गया है। अतः तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री अनुसार होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल भींयाड़ के ग्राम कोटड़ियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 1159/236, 1160/266 रकबा क्रमशः 11.5092, 9.1863 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है –

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	बागाराम चौधरी पुत्र देदाराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन आईसीआईसीआई शाखा भींयाड़	कोटड़ियों की ढाणी	1159/236 1160/266	2.3094 4.5891	बा.दो. बा.दो.	–	हरा
			2	**6.8985**			
2	धनाराम पुत्र खूमाराम जाति जाट सा. देह खातेदार	कोटड़ियों की ढाणी	1159/236	6.8985	बा.दो.	–	आसमानी
3	भंवराराम 1/4, भीखाराम 1/4, मेहराराम 1/4 पि0 निम्बाराम, मीरोदेवी पत्नी निम्बाराम 1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार	कोटड़ियों की ढाणी	1159/236 1160/266	2.3013 4.5972	बा.दो. बा.दो.	–	कथई
			2	**6.8985**			

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 11:52:59 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद [illegible] नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन [illegible] अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन [illegible] संलग्न प्रति नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 20.08.2025 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव